



Regional office

Rajasthan State Pollution Control Board

Address : F-470, Near UCCI Building, M.I.A, Udaipur (Raj.)

Email : rorpcbudaipur@gmail.com Phone no : 0294-2491269

No.: RPCB/RO U/UDR/ 65-68

Dated : 15/04/25

M/s Nalwaya Mineral Industries Pvt. Ltd.,
N/v- Nathara Ki Pal, Tehsil- Sarada,
Dist.-Salumber

Sub:- Public hearing for according Environmental Clearance for proposed production of Nathara Ki Pal III C Soapstone by M/s Nalwaya Mineral Industries Pvt. Ltd., M.L. no.-71/1981, Area -34.04 Ha.), proposed annual production capacity of mines is M.L. no.-71/1981, Production capacity 1,11,900 TPA (ROM), Location N/v- Nathara Ki Pal, Tehsil- Sarada, Dist.-Salumber (Raj).

Ref:- कार्यालय जिला कलेक्टर, सलुम्बर का पत्र क्रमांक प.39/2(3)राज./खनन/2024/309 दिनांक 09.04.2025

Sir,

In reference to above please find enclosed a public note to be published in one major National Daily news paper and one Regional vernacular Daily/Official state language news paper before 30 days of public hearing date. The news paper cutting are to be submitted to this office for further necessary action to conduct public hearing at कार्यालय ग्राम पंचायत नठारा, तहसील-सराड़ा, जिला-सलुम्बर at 11.30 AM on 23.05.2025.

You are requested to make available copies of EIA/EMP report and executive summary report in Hindi & English (with soft copies also) at various offices as mentioned in the public notice.

Yours Faithfully,

(Sharad Saksena)

Regional Officer o/c

Copy to:

1. The Member Secretary (SEAC), Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur.
2. District Collector, Salumber.
3. Analyst Cum Programmer, RSPCB, Jaipur to display public notice on website of State Board.

Regional Officer

Signature valid

Digitally signed by Sharad Saksena
Designation: Senior Environmental
Engineer
Date: 2025.04.15 16:54:58 IST
Reason: Approved



क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफ: 470, यू.सी.सी.आई. भवन के पास, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादडी, उदयपुर (राज.)

ई-मेल : rorpcbudaipur@gmail.com फोन नं. : 0294-2491269

पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

विषय:— मैसर्स नलवाया मिनरल्स इण्डस्ट्रीज प्रा. लि., एम.एल.न. 71/1981 (क्षेत्रफल 34.04 हैक्टेयर) "सोपस्टोन", ग्राम-नठारा की पाल, तहसील-सराड़ा, जिला-सलूमबर हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स नलवाया मिनरल्स इण्डस्ट्रीज प्रा. लि., एम.एल.न. 71/1981 (क्षेत्रफल 34.04 हैक्टेयर) "सोपस्टोन", ग्राम-नठारा की पाल, तहसील-सराड़ा, जिला-सलूमबर प्रस्तावित परियोजना सोपस्टोन माईन (एम.एल.न. 71/1981, क्षेत्रफल 34.04 हैक्टेयर) उत्पादन परियोजना क्षमता 1,11,900 टन प्रतिवर्ष (रोम) का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है।
2. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
3. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है:—
 - 1) कार्यालय जिला कलेक्टर, सलूमबर।
 - 2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय — 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
 - 3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए-216, अरन्य भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर।
 - 4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.)
 - 5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सलूमबर।
 - 6) उपखण्ड अधिकारी, तहसील-सराड़ा, जिला-सलूमबर।
 - 7) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
 - 8) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ-470, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादडी उदयपुर (राज.)।

अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 23.05.2025 (शुक्रवार) को प्रातः 11:30 बजे, कार्यालय ग्राम पंचायत नठारा, तहसील-सराड़ा, जिला-सलूमबर में उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी